

(29)



# न्यायालय श्रीमान राजस्व महसूल त्वालीयर म.प्र.

PBR/नगरानी/रतलाम/2018/01167

नागु पिता धन्ना जी जाति नायक

निवासी- ग्राम नौलखा तह.पिपलीदा जिला रतलाम .....प्रार्थी

बनाम

भगवानलाल पिता बालु जी जाति नायक

निवासी- ग्राम नौलखा तह.पिपलीदा जिला रतलाम .....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.रा.सं.

निगरानी व नाराजगी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय पिपलीदा के

राजस्व प्रकरणा क्रमांक 15470/16-17 एवं सिमांकन प्रकरण 145 अ 12/

16-17 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर।

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी कि और से निम्नानुसार रिवीजन प्रस्तुत है :-

### प्रकरण का तथ्य

1. यह है कि प्रतिप्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय पिपलीदा के न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नौलखा स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 378 रकबा 0.49 हेक्टर भूमि का सिमांकन करने की आदेश अधिनस्थ न्यायालय ने पारित किया है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सिमांकन का कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया और ना ही सुनवाई का अवसर दिये बिना ही सिमांकन कर दिया गया जबकि विधि की प्रकृति अनुसार पडोसी कृषको सूचना पत्र देकर मोके पर तीमेडा चौमेडा कर तं नो कोनो से सिमांकन करना था परन्तु राजस्व निरक्षक द्वारा ऐसा कोई सिमांकन किये गया और ना ही मोके पर फिलड बुक बनाई गई इसका लाभ उठाने हुए प्रतिप्रार्थी ने तहसीलदार महोदय पिपलीदा के न्यायालय में कब्जा प्राप्त हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिनके द्वारा सिमांकन हो गया है जिनके द्वारा

पु. 24/8  
20-1-18  
24-1-18

ए. आ. यादव अधिवक्ता  
आ. आ. यादव अधिवक्ता  
24-1-18  
पु. 24/8  
24-1-18

(29)

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(23)

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - PBR/वि/रतल/18/21/18/116) जिला - रतल/18/21/18/116)

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.0.18	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी... 16/10/2018...          पी.ए.ए.आ. के प्रकरण क्रमांक 15/31.20/16.1) में पारित          आदेश दिनांक 3.2.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-          राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के          फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित          संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु          कलकत्ता रतल को भेजा जाता है। उभयपक्ष          प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.18 को          कलकत्ता रतल के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	<p>15/31.20/16.1)</p>

14